

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 235 / 13

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 235 / 13
संस्थापन दिनांक-19 / 09 / 2013

हरनारायण शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल,
निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद,
जिला भिण्ड

---पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता

वि रु द्ध

1. शत्रुघन सिंह पुत्र राजाराम सिंह,
आयु 36 साल
2. श्यामसुंदर उर्फ सुंदरदास पुत्र,
राजाराम 40 साल
3. बृजमोहन पुत्र राजाराम, 30 साल
4. धीरेन्द्र पुत्र श्यामसुंदर, आयु 23 साल,
5. राजाराम पुत्र मांगीलाल आयु 68 साल,
6. हरीशंकर पुत्र किशोरी, 35 साल,
निवासीगण ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड मध्यप्रदेशप्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

न्यायालय-श्री संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्र.-391 / 2013 ई.फौ. हरनारायण
बनाम शत्रुघनसिंह आदि में पारित आदेश दि. 03 / 07 / 2013 से उत्पन्न
दाण्डिक पुनरीक्षण

--- आ दे श ---

(आज दिनांक 27, नवम्बर 2014 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-397 एवं 398 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय श्री संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-391 / 13 ई.फौ. हरनारायण शर्मा बनाम शत्रुघन सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 03 / 07 / 2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें याचिकाकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र में आरोपीगण के विरुद्ध धारा-326 भादवि. का संज्ञान नहीं लिया गया ।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी क्रमांक-1 लगायत-5 के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता/फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना गोहद में अप.क्र.-169/10 धारा-341, 323, 324, 325, 336 और 506-बी सहपठित धारा-34 भादवि. के अंतर्गत पेश किया गया था, तत्पश्चात पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किए गये प्राइवेट परिवाद पर से प्रत्यर्थी क्र.-6 हरीशंकर को भी आरोपी बनाते हुए उसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान उक्त धाराओं के तहत लिया गया है और पुलिस प्रकरण एवं परिवाद को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने समेकित किया है ।
3. पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता/निगरानीकर्ता के निगरानी के निम्नानुसार आधार बताये हैं कि प्रकरण में आई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सही विवेचन ना कर आलोच्य आदेश में आरोपीगण के विरुद्ध धारा-326 भा.द.वि. के अंतर्गत परिवादपत्र पंजीबद्ध ना करते हुए निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है, परिवादी ने 200 जा.फौ. के दिये कथन में आरोपी श्यामसुंदर ने कुल्हाडी से जान से मारने की नीयत से सिर में दारदार तरफ से मारना बताया है, जिसका बचान करने पर बांये हाथ में लगना भी बताया । जिससे फरियादी के बांये हाथ में फैंक्चर आया था, इस प्रकार फैंक्चर धारदार हथियार से आने के कारण धारा-326 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है । परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों में परिवादी के 22-25 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना बताया है उक्त दोनों समयावधि 20 दिन से अधिक है ।
4. परिवादी व साक्षियों ने अपने कथनों में आरोपीगण के कुल्हाडी, लुहांगी, लाठियों व बंदूक लिये होना बताया है, इस प्रकार जब आरोपीगण घातक हथियारों से सुजज्जित हो और किसी आरोपी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर अस्थि भंग पहुंचायी हो, तो अपराध धारा-326 भादवि. की परिधि के अंतर्गत आना चाहिये । उक्त तथ्य पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचार ना करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है, अतः आरोपीगण के विरुद्ध धारा-326 भादवि. के अंतर्गत भी संज्ञान लिये जाने का निवेदन किया है ।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षणयाचिका के अनुरूप ही तर्क किए हैं ।
6. विचारणीय यह है कि—
 1. “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 03/07/2013 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”
 2. क्या, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा बताये गयी घटना व तथ्यों पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा-326 भादवि. का पंजीबद्ध कर संज्ञान लिये जाने योग्य है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1 व 2 का निराकरण

7. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि पुलिस में घटना से संबंधित जो रिपोर्ट की गयी, उसमें भी जान से मारने की नीयत से घटना कारित की जाना बताया गया था और परिवाद में भी स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकट किए गये । उसपर से हुई जांच में साक्ष्य भी दी और साक्षियों ने भी गंभीर उपहति धारदार हथियार से पहुंचायी जाना तथा जान से मारने की नीयत से पहुंचायी जाना बताया था किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में कुछ भी स्पष्ट निष्कर्ष न देते हुए धारा-326 भा.दं.वि. का संज्ञान नहीं लिया गया है, जबकि आहत हरनारायण करीब 22 दिन अस्पताल में भर्ती रहा था और अपने दैनिक कार्य को मारने में असमर्थ रहा । जिसका उसने स्पष्ट कथन भी दिया था तथा उसके जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर से प्राप्त केस रिकॉर्ड में भी पाये

थे। रेडियस अलना नामक हडडी में अस्थिभंजन बताया गया है, जो कि अभियोगपत्र का अंश है और एम.एल. सी. में भी पाया था कि चोट में हडडी बाहर निकल आना और एक्सरे की सलाह देना डाक्टर द्वारा बताया गया था ।

9. पुलिस ने हालांकि एक्सरे रिपोर्ट संलग्न नहीं की है, लेकिन प्रथम दृष्टया धारा-326 भा.दं.वि. का मामला बनता है और उसमें संज्ञान लिये जाने हेतु निर्देशित किया जावे, जबकि प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्त ने अपने तर्कों में यह बताया है कि धारा-326 भा.दं.वि.का किसी भी प्रकार से मामला प्रथम दृष्टया ही नहीं बनता है, क्योंकि सभी चोटें साधारण पायी गयी थी और हरनारायण का तो पुलिस के दस्तावेजों मुताबिक कोई एक्सरा परीक्षण ही नहीं हुआ तथा जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसमें और फरियादी हरनारायण के कथन में भर्ती रहने की अवधि भी विरोधाभासी है और डिस्चार्ज होने के बाद एक्सरे परीक्षण कराये जाने की रसीद पेश की गयी हैं, जो शंका पैदा करती है । इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित व विधि संम्बत है और पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जावे ।
10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोनों मूल अभिलेख अर्थात् पुलिस रिपोर्ट पर से विचाराधीन प्रकरण क्रमांक-749/2010 एवं हरनारायण की ओर से किए गये प्राइवेट परिवाद पर पंजीबद्ध अपराध प्रकरण क्र. -391/2013 के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया । परिवाद धारा-326 सहित 323, 294, 336, 506-बी भा.दं.वि में अपराध के संज्ञान बाबत पेश किया गया था, जिसके साथ हरनारायण का डिस्चार्ज टिकिट पेश किया गया था, जिसके मुताबिक वह जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर में दिनांक-8/8/2010 से 1/9/2010 तक भर्ती रहा, जिसके बांये हाथ की रेडियस और अलना माक हडडी में अस्थिभंजन बताया गया । पुलिस प्रकरण में संलग्न एम.एल.सी. रिपोर्ट मुताबिक बांये हाथ में जो चोट बतायी गयी, उसमें डिस्टोरहेड फॉर आर्म अंकित किया है और हाथ की हडडी त्वचा से बाहर हो जाना और उसके एक्सरे परीक्षण की सलाह देना बताया गया है, एक्सरे की कोई रिपोर्ट अभियोगपत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी

है तथा पुलिस की कराई गयी क्वेरी में यह प्रकट किया गया है कि दिनांक-7/8/2010 को हरनारायण का कोई एक्सरा परीक्षण 7/8/10 या 8/8/10 को होना नहीं पाया गया ।

11. अभियोगपत्र के साथ केस रिकॉर्ड जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर का पेश किया गया है, यह बिन्दु गुणदोषों पर ही साक्ष्य उपरांत विश्लेषित हो सकता है कि केस रिकॉर्ड की क्या वैधानिक स्थिति रहेगी और एक्सरे परीक्षण की रिपोर्ट न होने का क्या प्रभाव रहेगा । इस स्तर पर यह प्रथम दृष्टया देखा जाना है कि अधिकतम क्या अपराध निर्मित हो सकता है ।
12. प्राइवेट परिवाद में परिवादी हरनारायण व अन्य साक्षियों के द्वारा धारा-200, 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत जो कथन कराये गये हैं उनमें जान से मारने की नीयत से घटा का उल्लेख किया गया, किन्तु धारा-307 भा.दं.वि के तहत अपराध के संज्ञान की कोई प्रार्थना नहीं की गयी है ।
13. पुनरीक्षणयाचिका का निराकरण करतेह समय पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां सीमित स्तर की होती हैं और केवल यह देखा जाता है कि जिस आदेश को प्रश्नगत किया गया है, उसकी वैधता, शुद्धता और औचित्ता है या नहीं या उसमें कोई भूल या त्रुटि है ।
14. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दि.-3/7/13 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-323, 294, 336, 324, 325 भा.दं.वि.के तहत संज्ञान लेते हुए पूर्व से अभियोजित अभियुक्तों के साथ हरीशंकर को भी अभियुक्त के रूप में अभियोजित किया है, किन्तु आलोच्य आदेश में इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि प्रस्तुत परिवादपत्र पर से धारा-326 भा.दं.वि.का अपराध प्रथम दृष्टया बनता है या नहीं । जबकि इस बारे में स्पष्ट निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता थी, यदि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि धारा-326 भा.दं.वि.का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है तो उस धारा के अंतर्गत परिवाद का निरस्त करते हुए आदेश करना चाहिये था । ऐसे में आलोच्य आदेश भ्रमपूर्ण व अपूर्ण प्रतीत होता है ।
15. ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए

इस निर्देश के साथ मामला प्रत्यावर्तित किये जाने योग्य है कि वह इस बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष दें कि प्रथम दृष्टया धारा-326 भा.दं.वि.का अपराध बनता है या नहीं बनता है ।

16. इस हेतु उभयपक्ष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आगामी दिनांक-5/12/14 को उपस्थित रहें ।

दिनांक 27/11/2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)